

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : ई-26 / 2018 /

—: आदेश :-


दिनांक :-

राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी /संस्थापन अधिकारी के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम	पद नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री कैलाश चन्द्र मीना	संस्थापन अधिकारी	निदेशालय	15.02.1959	28.02.2019
2	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	निदेशालय	23.11.1958	30.11.2018
3	श्री रियाज अहमद	प्रशासनिक अधिकारी	निदेशालय	10.03.1959	31.03.2019

उक्त कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-26 / 2018 / 363

दिनांक :- 25/01/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान - जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)/ (राजपत्रित)/ संयुक्त निदेशक(प्लान)/ मुख्यालय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. संबंधित अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. आदेश /निजी पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर